निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 आश्विन 1943 (श0)

(सं0 पटना 826) पटना, वृहस्पतिवार, 30 सितम्बर 2021

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

30 सितम्बर 2021

अधिसूचना संख्या 07/2021-राज्य कर (दर)

एस० ओ० **137**, दिनांक **30 सितम्बर 2021**—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या 12/2017-राज्य-कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 555, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, -

(i) क्रमांक 1 के सामने, कॉलम (3) में, अंक और अक्षर ”12कक" के बाद, शब्द, अंक और अक्षर ”या 12कख" अन्त:स्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 9कक के सामने, कॉलम (3) में, अंकों "2020” के बाद, "जब भी पुनर्निर्धारित हो”, शब्दों को अन्त:स्थापित किया जाएगा;

(iii) क्रमांक 9कक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“9कख	अध्याय 99	भारत में आयोजित होने वाले ए.एफ.सी. महिला एशिया कप, 2022 के अंतर्गत किसी भी समारोह में प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: एशियाई फुटबाल परिसंघ (ए.एफ.सी.) और उसकी सहायक इकाइयों के द्वारा या उनको प्रदान की जाने वाली सेवाएं ।	शून्य	बशर्ते कि निदेशक (खेल), युवा मामले और खेल मंत्रालय प्रमाणित करें कि ये सेवाएं प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: रूप से एएफसी महिला एशिया कप 2022 के तहत किसी भी आयोजन से संबंधित हैं;

(iv) कॉलम (3) में क्रम संख्या 9घ और 13 के सामने, अंक और अक्षर ”12कक" के बाद, शब्द, अंक और अक्षर ”या 12कख" अन्त:स्थापित किया जाएगा;

(v) क्रमांक 19क और 19ख के सामने, कॉलम (5) में, अंक ”2021" के स्थान पर, "2022" अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(vi) क्रम संख्या 43 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(vii) क्रमांक 61 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“61क	शीर्षक 9991	संपूर्ण भारत/सन्निहित राज्यों में परिचालन के लिए माल ढुलाई के लिए राष्ट्रीय परमिट प्रदान करने के माध्यम से सेवाएं।	शून्य	शून्य”;

(viii) क्रम संख्या 72 के समक्ष, कॉलम (3) में, शब्द ”कुल व्यय” के पश्चात, अंक, प्रतीक और शब्द ”का 75% या अधिक” को अन्त:स्थापित किया जाएगा;

(ix) क्रमांक 74क और 80 के सामने, कॉलम (3) में, अंक और अक्षर ”12कक” के बाद, शब्द, अंक और अक्षर ”या 12कख” अन्त:स्थापित किया जाएगा;

(x) क्रम संख्या 82क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित को अन्त:स्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“82ख	शीर्ष 9996	एएफसी महिला एशिया कप 2022 के तहत आयोजित कार्यक्रमों में प्रवेश के अधिकार के माध्यम से सेवाएं	शून्य	शून्य”;

2. यह अधिसूचना 01 अक्टूबर, 2021 से लागू होगी।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध 2017/21-(खंड-13) 07)]

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

30 सितम्बर 2021

एस० ओ०. 137, दिनांक 30 सितम्बर 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०—बिक्री—कर / जीएसटी / विविध—21 / 2017(खंड—13)07)]

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त—सह—सचिव।

The 30th September 2021

Notification No. 07 /2021– State Tax (Rate)

S.O. 137, dated 30th September 2021— In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. 12/2017-State Tax (Rate), dated the 29^{th} June, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 555, dated the 29^{th} June, 2017, namely:—

In the said notification, in the Table, -

(i) against serial number 1, in column (3), after the figures and letters “12AA”, the word, figures and letters “ or 12AB” shall be inserted;

(ii) against serial number 9AA, in column (3), after the words “hosted in India”, the words “whenever rescheduled” shall be inserted;

(iii) after serial number 9AA and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely : -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“9AB	Chapter 99	Services provided by and to Asian Football Confederation (AFC)	Nil	Provided that Director (Sports), Ministry of Youth Affairs and

		and its subsidiaries directly or indirectly related to any of the events under AFC Women's Asia Cup 2022 to be hosted in India.		Sports certifies that the services are directly or indirectly related to any of the events under AFC Women's Asia Cup 2022.”;

(iv) against serial numbers 9D and 13, in column (3), after the figures and letters “12AA”, the word, figures and letters “ or 12AB” shall be inserted;

(v) against serial numbers 19A and 19B, in column (5), for the figures “2021”, the figures “2022” shall be substituted;

(vi) serial number 43 and the entries relating there to shall be omitted;

(vii) after serial number 61 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“61A	Heading 9991	Services by way of granting National Permit to a goods carriage to operate through-out India / contiguous States.	Nil	Nil”;

(viii) against serial number 72, in column (3), after the words “for which”, the figures, symbol and words “75% or more of the” shall be inserted;

(ix) against serial numbers 74A and 80, in column (3), after the figures and letters “12AA”, word, figures and letters “ or 12AB” shall be inserted;

(x) after serial number 82A and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely : -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“82B	Heading 9996	Services by way of right to admission to the events organised under AFC Women's Asia Cup 2022	Nil	Nil”;

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of October, 2021.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-13) 07)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 826-571+10-डी०टी०पी०।
Website: http://egazette.bih.nic.in